



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 16.05.2023

प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को अधिकतम 02 वर्ष के कठोर कारावास व 3,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई

दिनांक:- 15.05.2023 को डकैती कोर्ट द्वारा नामजद 01 अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 7A/2008 धारा-323,325,504 IPC नामजद अभियुक्त जय हिंद पुत्र हीरालाल निवासी दामूपुरवा थाना- मुस्करा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपियों को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त 1. अभियुक्त जय हिंद पुत्र हीरालाल को 02 वर्ष के कारावास एवं 3,000 हजार रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।